



मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.)

ई-8/77, शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल-462039

फोन: 0755-4034839, 4077365

E-mail: rajyasanghbpl@yahoo.co.in Website: www.mpscu.in

प्रपत्र-1

आऊटसोर्स मानव संसाधन प्रदाय एजेंसी हेतु जारी सामान्य शर्तें

1. EOI फार्म राज्य सहकारी संघ के मुख्यालय से कार्यालयीन समय पर दिनांक **12-08-2024** से प्राप्त किया जा सकता है तथा दिनांक **27-08-2024** समय सायं 5.00 बजे तक कार्यालय में जमा/पहुँचना अनिवार्य है।
2. **EOI फार्म का मूल्य रु. 10,000/-** है, जिसे राज्य सहकारी संघ में जमा कर प्राप्त किया जा सकता है परन्तु जो प्रतिभागी राज्य सहकारी संघ की वेबसाइट से EOI डाऊनलोड कर प्रस्तुत करेंगे उन्हें फार्म के साथ रु. 10,000/- का डी.डी. पृथक लिफाफे में फार्म मूल्य अंकित करते हुए जमा करना होगा। उक्त लिफाफे के अभाव में उनके फार्म पर विचार नहीं किया जावेगा। फार्म का मूल्य वापिसी योग्य नहीं है।
3. प्रत्येक सेक्टर के लिए पृथक-पृथक राशि रु. 10,000/- + GST का डी.डी. फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है। डी.डी. के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. EOI फार्म के साथ एक पृथक लिफाफे में रुपये 5.00 लाख की धरोहर राशि डी. डी. के रूप में जो प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के पक्ष में देय हो धरोहर राशि अंकित करते हुए रखी जावेगी। धरोहर राशि के अभाव में संबंधित प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत EOI फार्म पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदक संस्था का चयन नहीं होने की स्थिति में उक्त धरोहर राशि संस्था को 1 माह में वापस कर दी जावेगी।
5. EOI फार्म भरते समय पूरी सावधानी बरती जावे। फार्म के साथ संलग्न मूल्यांकन पत्रक का अवलोकन गंभीरता से कर स्वयं अपने अंकों का निर्धारण मापदण्ड अनुसार कर लें। यदि कुल प्राप्तांक 70 से अधिक हैं तो ही फार्म को भरें। अन्यथा फार्म के मूल्य का नुकसान होगा।
6. सिक्योरिटी गार्ड प्रदाय करने वाली एजेंसी का प्रायवेट सिक्यूरिटी रेग्यूलेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
7. संबंधित एजेंसी का दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में रजिस्ट्रेशन कर्मचारी बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि, लेबर वेलफेयर, आयकर क्लियरेंस प्रमाण पत्र आदि सभी संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावे।
8. चयनित आवेदक संस्था को 15 दिवस के अंदर म.प्र. राज्य सहकारी संघ के साथ MOU निष्पादित करना आवश्यक है। निर्धारित अवधि में MOU नहीं करने की दशा में उसका आवेदन निरस्त कर धरोहर राशि राजसात की जा सकती है।
9. विवाद होने पर प्रकरण सक्षम सहकारी न्यायालय भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।
10. राज्य सहकारी संघ को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण दर्शाये एक माह की लिखित सूचना देकर किसी चयनित संस्था का दावा निरस्त किया जा सकता है।

11. सशर्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
12. किसी भी समय मांग किये जाने पर आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की मूल प्रति कार्यालय में दिखाना अनिवार्य होगा।
13. प्राप्त EOI में से किसी एक को अथवा समस्त आवेदनों को बिना किसी कारण दर्शाये अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ को होगा।
14. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तों का विवरण MOU में दिया जावेगा।
15. निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व सीलबंद लिफाफे में EOI राज्य सहकारी संघ कार्यालय में जमा होना आवश्यक है। **समयावधि के बाद प्राप्त EOI पर विचार नहीं किया जावेगा।**
16. EOI के संबंध में प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ का निर्णय अंतिम होगा जो द्वितीय पक्षकार को स्वीकार होगा।
17. पैनल में शामिल संस्थाओं द्वारा नियुक्त कर प्रदाय किये गये कर्मचारियों के वेतन का भुगतान उनके खाते में अथवा ई-पमेंट के माध्यम से प्रत्येक माह की 15 तारीख तक किया जायेगा।
18. चयनित संस्थाओं द्वारा जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआईसी एवं अन्य जानकारीयां (शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन अनुसार) संघ को प्रत्येक माह की दिनांक 15 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
19. चयनित संस्थाओं द्वारा प्रदाय किये गये कर्मचारियों का मेडीकल फिटनेस, पुलिस वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।
20. संस्था को किसी शासकीय विभाग या अर्द्धशासकीय विभाग में विगत पांच वर्षों में किसी भी संस्था द्वारा डिफाल्टर (ब्लैक लिस्टेड) घोषित न किया गया हो।
21. आवेदक संस्था द्वारा **फार्म 03 (EVALUATION SHEET)** का स्व-मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित कर ले की 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गये हैं या नहीं। तत्पश्चात ही फार्म भरा जाना सुनिश्चित करें एवं आपके द्वारा भरा गया फार्म-03 भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
22. किसी भी समय संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं जानकारी के विरुद्ध कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो संस्था को ब्लैक लिस्टेड करने के साथ ही सुरक्षा निधि जब्त की जा सकती है साथ ही आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकता है।
23. EOI में पात्र संस्थाओं को उनके विगत 03 वर्ष में मानव सेवा प्रदाता के रूप में प्रदाय किये गये कर्मचारियों की सेक्टरवार संख्या के औसत से अधिक कर्मचारियों को प्रदाय करने की पात्रता नहीं होगी।

उपरोक्त समस्त शर्तें स्वीकार है।

हस्ताक्षर
सील/मुद्रा